

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा अतिथिशाला में कमरा आरक्षण हेतु आवश्यक सूचना

सूचित किया जाता है कि बिहार विधान सभा अतिथिशाला में कमरा आरक्षण की सुविधा प्रारंभ है। अतिथिशाला में कमरा आरक्षण के संबंध में अतिथिगण निम्न सामान्य शर्तों के अधीन कमरा आरक्षण की सुविधा का लाभ ले सकेंगे :-

1. माननीय सांसद, माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व सदस्य, बिहार विधान सभा अतिथिशाला में स्वयं के प्रवास हेतु आवेदन दे सकेंगे। बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य इस अतिथिशाला में अपने अतिथि के प्रवास के लिए अनुशंसा कर सकेंगे।
2. कमरा आरक्षण हेतु आवेदन सचिव, बिहार विधान सभा को ऑनलाइन secretarybvs@gmail.com अथवा कार्यालय में सचिव, बिहार विधान सभा या प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित रूप में दे सकेंगे।
3. आवेदक को उनके आवेदन के विरुद्ध अधिकतम तीन दिन के लिए कमरा आरक्षण किया जा सकेगा।
4. अतिथिगण को चेक-इन के पूर्व फोटो-प्रमाण पत्र (ID) प्रस्तुत करना होगा।
5. आवेदन नियत तिथि से अधिकतम 15 दिन पूर्व से लिया जाएगा, परंतु आरक्षण की पुष्टि नियत तिथि के एक दिन पूर्व ही होगी।
6. अतिथिगण के लिए कर सहित कमरा का शुल्क 500/- रुपये प्रतिदिन होगा, जिसका भुगतान ऑनलाइन या नगद भुगतान के रूप में किया जा सकेगा। यह भुगतान चेक-आउट के पूर्व अनिवार्य होगा।
7. बिहार विधान सभा अतिथिशाला में कमरा आरक्षण बिहार विधान सभा अतिथिशाला (कमरा आवंटन हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें) आदेश, 2025 के अधीन किया जाएगा।
8. अतिथिगण बिहार विधान सभा अतिथिशाला के संबंध में आवश्यक जानकारी +91 6122217870 पर प्राप्त कर सकते हैं।


अवर सचिव 1.7.2025

बिहार विधान सभा, पटना।